सहायता
5/7
1/10/25

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.8(22)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर,दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 118/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर **भरतपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2103 दिनांक 18.08.2025 के आधार पर अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वैर के 28 कार्य हेतु राशि रूपये 33.59 लाख **(अक्षरे रूपये तैतीस लाख उनसठ हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

RajKaj Ref No.:
18015229
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kush
Designation : Deputy Secretary
Government
Date: 2025.09.26 15:31:09 IST
Reason: Approved

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]–[सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
15. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
16. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
17. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(शैफाली कुशवाहा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **भरतपुर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, भरतपुर।

उप शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kush
Designation : Deputy Secretary
Government
Date: 2025.09.26 15:31:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18015229
eSign 1.0

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

दिनांक :– 02'10'2025

क्रमांक :– 2738

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(22) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज स0. 18015229 दिनांक 26.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज स0 17821192/2103 दिनांक 18.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 खण्ड वैर ब्लॉक वैर के निम्न 28 कार्यो की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–08–01–21 से जारी की जाती है:–

क.सं.	क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other	सामान्य/पहाडी क्षेत्र	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (तिथिवार)(एक दिवस में 90 एम.एम. से अधिक अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम. से अधिक)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई सडक के संबध मे जानकारी: क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (.....किमी से .....किमी तक) लोकेशन	लम्बाई	सड़क की वास्तविक लम्बाई (किमी.)	SDRF Norms अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु योग्य राशि	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य का कार्यादेश पूर्व में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हां/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी का नाम	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं मो.नं./फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	उनापुर से नगला बिडावर सडक किमी. 0/0 से 1/575	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/500	1.50	1.58	0.60	0.90	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
2	वैर बयाना सडक से मोरदा किमी. 0/0 से 0/750	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/700	0.70	0.75	0.60	0.42	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
3	हलैना गज खरेली से नगला हतरान किमी. 0/0 से 0/500	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/450	0.45	0.50	0.60	0.27	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
4	वैर हन्तरा हलीजर सडक से नगला छत्रसाल सडक किमी. 0/0 से 1/050	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/050	1.05	1.05	0.60	0.63	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
5	वैर हन्तरा सडक से नगला धरसोनी सडक किमी. 0/0 से 2/300	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/300 से 2/300	2.00	2.30	0.60	1.20	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
6	जहानपुर बिजवारी सडक से नगला हरसुख किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
7	ताजपुर सडक से झालाटाला किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/900	0.90	1.00	0.60	0.54	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
8	रहीमगढ से दारा किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/900	0.90	1.00	0.60	0.54	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
9	सिरस से गागरोली किमी. 0/0 से 3/330	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/330 से 3/330	3.00	3.33	0.60	1.80	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
10	सिरस से अटारीपुरा दाया बझेरा खुर्द किमी. 0/0 से 1/600	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.96	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
11	वैर हलैना सडक से खरवेरा किमी. 0/0 से 2/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/900	1.90	[illegible]	0.60	1.14	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.02 [illegible]:00:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18091135

12	वैर से ललिता मूंडिया किमी. 0/0 से 1/600	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी 0/0 से 1/500	1.50	1.60	[illegible]	0.90	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
13	सम्पर्क सडक नयागाव माफी किमी. 0/0 से 1/200	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/200 से 1/200	1.00	1.20	0.60	0.60	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
14	समराया से भगोरा किमी. 0/0 से 4/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/200 से 4/0	3.80	4.00	0.60	2.28	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
15	सम्पर्क सडक जीवद किमी. 0/0 से 0/800	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/800	0.80	0.80	0.60	0.48	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
16	एस.एच.–24 किमी. 57/600 से खूंटखेडा	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 2/800	2.80	3.00	0.60	1.68	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
17	बिडयारी नावली रोड से तालिमपुर	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी 0/0 से 2/100	2.10	2.30	0.60	1.26	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
18	खटनावली से ऐचोली	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/900	1.90	2.00	0.60	1.14	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
19	महरावर सडक से चीखरू	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 6/280	6.28	6.48	0.60	3.77	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
20	वैर नावर सडक से मौखरौली	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/150	1.50	1.50	0.60	0.90	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
21	वैर सुहास सडक से खोरी	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/600	0.60	0.60	0.60	0.36	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
22	एमडीआर–55 किमी. 10/200 से खेरली गुर्जर	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/500	0.50	0.50	0.60	0.30	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
23	वैर भुसावर किमी. 63 से बझेरा कला	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 2/800	2.80	3.10	0.60	1.68	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
24	वैर भुसावर सडक से लखनपुर	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 4/200	4.20	4.20	0.60	2.52	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
25	भूतौली से मुखैना	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/600	1.60	1.60	0.60	0.96	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
26	जीवद से बासी	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 3/0	3.00	3.20	0.60	1.80	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
27	वैर हाथौडी सडक किमी. 5 से सीता	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/900	1.90	2.00	0.60	1.14	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
28	वैर से नावर	ग्रामीण सड़क	सामान्य	03.09.2025 04.09.2025	87+29=116 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 4/700	4.70	5.00	0.60	2.82	है	नही	नही	रा०नि०वि० खण्ड वैर	अधि०–अभि० 7014843781
	कुल :–							55.98	59.19		33.59					

उक्त सभी प्रस्तावो की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड वैर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

2 उक्त कार्यो मे कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नही होना चाहिए

3 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि मे होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मे अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी ...

5 विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रू की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया ... अतः अधिशाषी अभियन्ता अत ... अधिक राशि को उपयोग मरम्मत पर न करें।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu... er Ul Zaman Choudhary
Designation : C... & District Magistrate
Date: 2025.10.02 ...:00:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18091135

... की प्रति इस कार्यालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

7 प्रस्तावो मे उन ही सडको की मरम्मत करवाई जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।

8 राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नही है।

9 कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनाक से 30 दिवस मे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। कार्य पुर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यो का पूर्णतः प्रमाण–प्रत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

10 प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवायें तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल

11 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

12 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

13 सवीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवायें जा सकेंगे।

14 स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध मे लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, ततसम्बंधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

कमांकः–सहायता/25/ 2238-45

दिनांकः– 02.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी वैर।
4 अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 भरतपुर।
5 तहसीलदार वैर।
6 अधिशापी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड वैर।
7 सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड वैर।
8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.02 [illegible]:00:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18091135